वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

**फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi**

संख्या: पीआरओ 07/2020 दिनांक: अक्टूबर, 02/2020

## *प्रेस नोट*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर, स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी चेतगंज के निकट पर्यवेक्षण में थाना *सिगरा क्षेत्र में दिनांक 22.09.2020 को मोहल्ला पिशाचमोचन में घर में हुयी लूट की घटना के अनावरण हेतु गठित टीम द्वारा 04 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर लूटे हुये सोने के आभूषण एक जोड़ी कान का झाला, एक अदद नाक की नथुनी, एक अदद अंगूठी सोने की व एक अदद लूट का मोबाइल ओप्पो कम्पनी F 11 प्रो बिना सिम का व घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर व एक अदद मोटर साईकिल हीरो सीडी डीलक्स जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर अस्पष्ट है बरामद* की गयी।

थाना सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 429/20 धारा 392/455 भादवि के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक द्वारा गठित टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज व अन्य इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के आधार पर *दिनांक अभियुक्तगण (1) वैभव गुप्ता उर्फ सानू पुत्र अनिल कुमार गुप्ता निवासी ए 9/4 कायस्थ टोला थाना आदमपुर जिला वाराणसी (2) मोहम्मद आजम पुत्र स्व0 आगा अयूब मिर्जा निवासी ए 8/1 तेलियानाला मुकीमगंज थाना आदमपुर जिला वाराणसी व हाल पता किराये का मकान आजाद कैसेट वाले औरंगाबाद थाना चेतगंज जिला वाराणसी व (3) अभियुक्त सूरज नागर उर्फ मोमो वाला पुत्र भरत नागर निवासी म0नं0 ए 19/70 चौहट्टा लालखां थाना आदमपुर जिला वाराणसी व हाल पता किराये का मकान सूरज होल्डिंग वाले की गली घसियारी टोला थाना आदमपुर, जिला वाराणसी * का नाम प्रकाश में आया था जिनकी गिरफ्तारी के लिये लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में दिनांक 01.10.2020 को पिशाचमोचन तिराहे पर मुखबिर के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त तीनों अभियुक्तो को घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया जिनकी जामा तलाशी से लूटे हुए स्वर्ण आभूषण बरामद हुए व अभियुक्त मोहम्मद आजम के पास से एक अदद तमंचा व कारतूस तथा अभियुक्त सूरज नागर के पास से लूट का मोबाइल बरामद। अभियुक्त मोहम्मद आजम के द्वारा लूटी गयी अंगूठी दालमण्डी में बाबा सर्राफ को बेचना बताया गया, जिसकी निशानदेही पर *(4) महमूद आलम पुत्र जुल्फकार आलम निवासी सी.के. 40/50 घुघरानी गली थाना चौक वाराणसी* को गिरफ्तार किया गया जिसकी दुकान से अभियुक्त द्वारा बेची गयी लूट की एक अदद लेडीज सोने की

अंगूठी बरामद की गयी। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है और अभियुक्तगणो के अपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी किया जा रहा है।

**<u>*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-*</u>**

1. वैभव गुप्ता उर्फ सानू पुत्र अनिल कुमार गुप्ता निवासी ए 9/4 कायस्थ टोला थाना आदमपुर जिला वाराणसी उम्र 21 वर्ष
2. मोहम्मद आजम पुत्र स्व0 आगा अयूब मिर्जा निवासी ए 8/1 तेलियानाला मुकीमगंज थाना आदमपुर जिला वाराणसी व हाल पता किराये का मकान आजाद कैसेट वाले औरंगाबाद थाना चेतगंज जिला वाराणसी उम्र 24 वर्ष
3. सूरज नागर उर्फ मोमो वाला पुत्र भरत नागर निवासी म0नं0 ए 19/70 चौहट्टा लालखां थाना आदमपुर जिला वाराणसी व हाल पता किराये का मकान सूरज होल्डिंग वाले की गली घसियारी टोला थाना आदमपुर, जिला वाराणसी उम्र 22 वर्ष
4. महमूद आलम पुत्र जुल्फकार आलम निवासी सी0के0 40/50 घुघराली गली थाना चौक जिला वाराणसी उम्र 37 वर्ष ( स्वर्णकार )

**<u>*बरामदगी का विवरण-*</u>**

1. **एक जोड़ी कान का झाला सोने का**
2. **एक अदद नाक की नथुनी सोने का**
3. **एक अदद अंगूठी सोने का**
4. **एक अदद लूट की मोबाइल ओप्पो कम्पनी F 11 प्रो बिना सिम**
5. **एक अदद तमंचा 12 बोर**
6. **एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर**
7. **एक अदद मोटर साईकिल हीरो सीडी डीलक्स** जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर अस्पष्ट है, चेचिस नम्बर MBLHAR231HHJ08538 इंजन नम्बर HA11ENHHJ12437

***पंजीकृत मुकदमें का विवरण-***

(1) 429/20 धारा 392/455/411 IPC थाना सिगरा जनपद वाराणसी।

(2) 441/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिगरा जनपद वाराणसी।

***पुलिस टीम का विवरण***

1. उ0नि0 श्री विजय प्रकाश यादव चौकी प्रभारी लल्लापुरा, थाना सिगरा जनपद वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार यादव चौकी प्रभारी सोनिया, थाना सिगरा जनपद वाराणसी।
3. उ0नि0 श्री अनुज तिवारी चौकी प्रभारी विद्यापीठ, थाना सिगरा जनपद वाराणसी।
4. उ0नि0 श्री विनय कुमार यादव थाना सिगरा, जनपद वाराणसी।
5. उ0नि0 श्री जंगबहादुर यादव थाना सिगरा, जनपद वाराणसी।
6. हे0का0 विजय शंकर यादव थाना सिगरा, जनपद वाराणसी।
7. का0 अजीत कुमार थाना सिगरा, जनपद वाराणसी।
8. का0 सूरज भारती थाना सिगरा, जनपद वाराणसी।
9. का0 जितेन्द्र कुमार थाना सिगरा, जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

**फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi**

संख्या: पीआरओ 08/2020 दिनांक: अक्टूबर, 02/2020

*प्रेस नोट*

***थाना रोहनियां पुलिस द्वारा चालक परविन्द्र सिंह उर्फ मेंटल की हत्या का सफल अनावरण, तीन नफर अभियुक्त गिरफ्तार, एक अदद एर्टिगा कार संख्या UP 65 CD 8348, एक अदद लाल रंग मोटर साइकिल बुलेट UP 65 CV 4874, मृतक परविन्द उर्फ मेन्टल का एक अदद मोबाईल OPPO सिम न0 8896250128, एक अदद पैन कार्ड, पर्स, फोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति व घटना में प्रयुक्त एक अदद रिवाल्वर .32 बोर मय 02 अदद कारतूस जिंदा .32 बोर बरामद व गिरफ्तार अभियुक्तगण की तलाशी से 1100/- रू0 नगद व चार अदद मोबाईल बरामद।***

दिनांक 23/09/2020 को दो व्यक्तियों द्वारा एर्टिगा कार को बुक कराकर चालक परविन्द्र सिंह की हत्या करके शव को थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर के जंगल में फेक देने के सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ में पंजीकृत मु0अ0सं0 388/2020 धारा 302,201 भादवि के सफल अनावरण के लिये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रोहनियां के नेतृत्व व एसओजी प्रभारी एवं सर्विलांस प्रभारी की दो टीमों का गठन किया गया था। पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त एर्टिगा कार व लाल रंग की बुलेट, रिवाल्वर, मृतक का मोबाइल तथा मृतक व अभियुक्तों के कपड़े आदि बरामद करते हुए कुल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए सफल अनावरण किया गया है।

दिनांक 26/09/2020 को मृतक की पत्नी की तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 388/2020 धारा 302,201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक रोहनियाँ परशुराम त्रिपाठी द्वारा की गयी। मुकदमा वादिनी का पति दिनांक 23/09/2020 को एर्टिगा कार नं0 UP 65 CD 8348, जिसको दो व्यक्तियों द्वारा ओम प्रकाश पाल पुत्र हीरालाल पाल नि0 दयापुर थाना लोहता वाराणसी के यहाँ से विंध्यवासिनी दर्शन करने के लिये दिनांक 22/09/2020 को गये और बताया कि संजीत यादव निवासी भड़ाव के मिलने वाले है, इसी आधार पर ओम प्रकाश पाल ने श्री जितेन्द्र कुमार सिंह पुत्र मंगल सिंह नि0 घमहापुर थाना रोहनियाँ की एर्टिगा कार न0 UP -65 CD 8348 को फोन के द्वारा बुक कराया गया। जिसको दिनांक 23/08/2020 को चालक परविन्द्र गाड़ी लेकर गया और दिनांक 25/09/2020 को चालक परविन्द्र की शव नग्न अवस्था में क्षत विक्षत थाना लालगंज क्षेत्र जनपद मिर्जापुर के जंगलों में बरामद हुआ। चूँकि एर्टिगा कार उपरोक्त में जीपीएस सिस्टम लगा था जिसके आधार पर गाड़ी को वाहन स्वामी ने ग्राम चक्का (रामेश्वर) में लाक कर दिया था इसलिये अभियुक्तगण गाड़ी नही ले जा पाये। ओमप्रकाश पाल के यहाँ जो दोनो व्यक्ति गाड़ी

बुक कराने गये थे, उन्होने अपना मोबाइल न0 दिया था उसका न0 7754091339 था। उक्त न0 की कैफ प्राप्त की गयी तो पता चला उक्त नं0 जोगेन्दर प्रसाद पुत्र राम लखन नि0 गोपालपुर थाना बड़ागाँव के नाम दर्ज है और घटना से एक सप्ताह पहले चोरी हो गया था। सर्विलांस एवं बीटीएस के आधार पर संदिग्ध नं0 प्राप्त करके अभियुक्तों का पता लगाने का प्रयास किया गया तो पता चला कि जो गाड़ी बुक कराने गये थे उनका नाम गुड्डू उर्फ जगनायर पुत्र कृपाशंकर सिंह नि0 विश्वनाथपुर थाना बड़ागाँव वाराणसी व पवन कुमार पाल पुत्र स्व0 दशरथ पाल नि0 दंडीपुर थाना बड़ागाँव वाराणसी थे। दिनांक 01/10/2020 को प्रभारी निरीक्षक रोहनियाँ परशुराम त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ गंगापुर में मौजूद थे, तभी सर्विलांस प्रभारी अरूण कुमार सिंह मय एसओजी प्रभारी अश्वनी पाण्डेय मय अपनी टीम के आये जिनसे अपराध एवं अपराधियों के सम्बन्ध मे बातचीत की जा रही थी तभी जरिये मुखबीर सूचना मिली की तीन व्यक्ति अकेलवा चौराहे के पहले गंगापुर रोड पर एक बुलेट मोटरसाइकिल के साथ खड़े है जिनके द्वारा चालक परविन्दर की हत्या करके शव को जंगल में फेंका गया था। मुखबीर की सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक रोहनियां, एसओजी प्रभारी अश्वनी पाण्डेय व सर्विलांस प्रभारी अरूण कुमार सिंह की टीम के साथ तीनों व्यक्तियों को एक अदद बुलेट मोटरसाइकिल के साथ दिनांक 01/10/2020 को समय लगभग 19.40 बजे पकड़ लिया। जिन्होने अपना नाम 1. गुड्डू उर्फ जगनायक सिंह पुत्र कृपा शंकर सिंह नि0 विश्वनाथपुर चौधरी का पूरा कनियर थाना बड़ागाँव वाराणसी 2. पवन कुमार पाल पुत्र स्व0 दशरथ पाल नि0 डंडीपुर थाना बड़ागाँव वाराणसी व 3. नीरज कुमार गौतम पुत्र राम प्रसाद कौल नि0 गांगकला थाना बड़ागाँव वाराणसी बताया।

**पूछताछ का विवरण-**

पकड़े गये तीनों व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि सुजीत पटेल पुत्र वंशराज पटेल नि0 गांगकला थाना बड़ागाँव वाराणसी जो गाड़ी मालिक जितेन्द्र कुमार सिंह के यहाँ ड्राइविंग का कार्य करता था और गाड़ी मालिक के घर में ही किराये पर रहता था लेकिन गाड़ी से सुजीत पटेल शराब तस्करी का कार्य करने लगा इसलिये वाहन स्वामी जितेन्द्र कुमार सिंह ने अपनी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगवा दिया और सुजीत पटेल को शराब के साथ बिहार में पकड़वा दिया और अपनी गाड़ी चलाने के लिये मृतक परविन्द को ड्राइवरी में रख लिया। कुछ समय पश्चात सुजीत पटेल व नीरज गौतम अपने अन्य साथियों के साथ थाना शिवपुर वाराणसी में शराब तस्करी में पकड़ा गया था, जिसका थाना शिवपुर में मु0अ0स0 135/2020 धारा 272 भादवि व 61 एक्साइज एक्ट पंजीकृत है जिसमें सुजीत पटेल व नीरज कुमार गौतम अपने साथियों के साथ जेल गये थे, सुजीत कुमार पटेल को शक हो गया कि मुझे बार बार गाड़ी मालिक जितेन्द्र सिंह अपने ड्राइवर परविन्द की मदद से पकड़वा रहा है इसलिये सुजीत पटेल द्वारा चालक परविन्द सिंह को वहाँ से ड्राइवरी छोड़ने की धमकी दी गयी थी। न छोड़ने पर अंजाम भुगतने को कहा गया था। सुजीत पटेल का वाहन स्वामी एवं मकान मालिक से किराये के पैसे को लेकर विवाद हुआ था आज भी सुजीत पटेल काफी सामान जितेन्द्र सिंह के मकान पर रखा हुआ है इन्ही सब बातों को लेकर सुजीत पटेल अपने साथी 1. गुड्डू सिंह उर्फ जगनायक सिंह 2. पवन कुमार पाल 3. नीरज कुमार गौतम उपरोक्त 4. जितेन्द्र कुमार पुत्र छग्गु राम नि0 ऊचगाँव थाना लोहता वाराणसी 5. आशीष यादव पुत्र अच्छेवर यादव नि0 उज्जेनियाँपुर खरावन थाना

बड़ागाँव वाराणसी के साथ गाड़ी मालिक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को सबक सिखाने एवं चालक परविन्द सिंह की हत्या करने की योजना बनायी। उसी योजना के तहत दिनांक 22/06/2020 को सभी 06 लोग ग्राम दयापुर गये और ओमप्रकाश पाल के घर गुड्डू उर्फ जगनायक सिंह व पवन कुमार पाल गये और चोरी के मोबाइल नं0 से जितेन्द्र कुमार सिंह की गाड़ी ओम प्रकाश पाल के माध्यम से बुक करायी गयी शेष चार लोग रोड पर खड़े थे। दिनांक 23/09/2020 को जब एर्टिगा कार चालक परविन्द लेकर आया तो गाड़ी में अकेलवा फाटक के पास से पवन कुमार पाल, नीरज कुमार गौतम व जितेन्द्र कुमार पटेल बैठे थे। आगे कपसेठी के पास से सुजीत पटेल व आशीष कुमार यादव बैठे थे। गुड्डू उर्फ जगनायक सिंह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से एर्टिगा कार के आगे पीछे रैकी करते हुए चल रहे थे। सभी लोग जब चौरी बाजार पहुचे तो वहाँ से शराब खरीदी और पुरजागिर बाजार से समोसा, कुरकुरे, गिलास, पानी की बोतल व सिगरेट खरीदा था। इसके पश्चात बघरा तिवारी ग्राम सभा भागदेवर के रेवा पेड़ के नीचे सभी लोगों ने शराब पी। शराब के पैक पवन कुमार पाल ने बना बना कर दिया। चालक परविन्द को ज्यादा पिलायी गयी। बाकी सब लोगो ने थोड़ी थोड़ी पी जब चालक परविन्द नशे में हो गया तब सभी लोग गाड़ी में बैठ गये तभी सुजीत पटेल ने चालक परविन्दर के गले में अपने लाल रंग के गमछे से फंदा बनाकर सभी लोगो ने कस के खीच दिया और पवन कुमार पाल लिये हुए रिवांल्वर की बेती से उसके सिर पर कई वार किये जिससे चालक परविन्द की मौके पर ही गाड़ी के अन्दर मृत्यु हो गयी। इसके पश्चात 14 - 15 किमी दूर कुशियारी के जंगल में शव को कपड़े फाड़कर, गला रेतकर व चहरे पर पत्थर से प्रहार करके लाश को छत विच्छत करके जिससे पहचाना न जा सके झाड़ी में फेंक दिया गया था।

पकड़े गये तीनों अभियुक्त गुड्डू उर्फ जगनायक सिंह , पवन कुमार पाल, नीरज कुमार गौतम की निशानदेही पर ग्राम सभा देउरा के दूबे पट्टी तिराहा के पास रेवा पेड़ के नीचे जहाँ पर अभियुक्तगणों व चालक ने शराब पी थी, टूटी हुई शराब की शीशी इम्पीरियल ब्लू के छोटे छोटे टुकडे व गिलास व टकाटक कुरकुरे के दो पैकेट तथा ग्राम दुबारा पहाड़ी थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर के सामने हाइवे के किनारे मृतक परविन्दर का लोवर व पहनी हुई बनियान के टुकड़े तथा अभियुक्तगणों के कपड़े खून से सने हुए एक गठरी में बरामद हुए है। सर्विलांस टीम की मदद व मुखबीरी सूचना के आधार पर हत्या जैसा जघन्य अपराध का सफल अनावरण करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, शेष तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्त पवन पाल के कब्जे से एक अदद रिवाल्वर, दो अदद जिन्दा कारतुस जिसको हत्या में प्रयोग किया गया था व मृतक का एक अदद मोबाइल तथा थाना लालपुर वाराणसी के मु0अ0स0 120/20 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित लूट के माल मसरूका मोबाइल अभियुक्त नीरज कुमार गौतम के कब्जे से मृतक परविन्दर सिंह का पैन कार्ड आधार कार्ड , फोटो, पर्स व अभियुक्त गुड्डू उर्फ जगनायक के कब्जे से हत्या मे प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल न0 UP 65 CV 4874 बरामद की गयी है, ओम प्रकाश पाल को तलब किया गया तो उसने मौके पर ही आकर पहचाना कि यही दोनो व्यक्ति है जो गाड़ी बुक कराने आये थे जिनका नाम गुड्डू उर्फ जगनायक व दुसरा का नाम पवन पाल है । मृतक की पत्नी व भाई ने आकर मृतक के कपड़े मोबाइल की शिनाख्त की।

**<u>*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-*</u>**

1. गुडडू उर्फ जगनायक सिंह उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र कृपाशंकर सिंह निवासी विश्वनाथपुर चौधरी का पुरा कनियर थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी।
2. पवन कुमार पाल उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र स्व0 दशरथ पाल निवासी ग्राम दण्डीपुर चक खरावन थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी।
3. नीरज कुमार गौतम उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र रामप्रसाद गौतम निवासी गांगकला थाना बड़ागांव वाराणसी।

**<u>*वांछित अभियुक्तगण का विवरण-*</u>**

1. सुजीत पटेल पुत्र वंशराज निवासी गांगकला थाना बड़ागांव वाराणसी।
2. आशीष यादव पुत्र अच्छैवर यादव निवासी उजैनियापुर खरावन थाना बडंगाव वाराणसी।
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र छब्बूराम हरिजन निवासी ऊँचगांव थाना लोहता वाराणसी।

**<u>*बरामदगी का विवरण-*</u>**

1. अदद एर्टिगा कार संख्या यूपी 65 सीडी 8348
2. एक अदद मोटरसाइकिल संख्या यूपी 65 सीबी 4874
3. एक अदद आला कत्ल रिवाल्वर 32 बोर व दो अदद जिन्दा कारतुस
4. एक अदद मोबाईल ओप्पो
5. मृतक का पर्स आधार कार्ड , पैनकार्ड , फोटो आदि
6. मृतक के कपड़े लोवर व बनियाइन रक्त रंजित
7. अभियुक्तगणों के कपड़े रक्त रंजित
8. अभियुक्तगणों के मोबाइल 04 अदद
9. जामातलाशी के 1100/- रूपये

**<u>*अपराधिक इतिहास-*</u>**

1. मु0अ0सं0 388/20 धारा 302,201 भादवि थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी (सभी अभियुक्तगणों के विरूद्ध )
2. मु0अ0सं0 135/20 धारा 272 भादवि 61 एक्साइज एक्ट थाना शिवपुर वाराणसी (अभियुक्त सुजीत पटेल व अभियुक्त नीरज कुमार गौतम उपरोक्त के विरूद्ध )
3. मु0अ0सं0 120/20 धारा 392 भादवि थाना लालपुर जनपद वाराणसी (अभियुक्त पवन कुमार पाल व अभियुक्त सुजीत पटेल उपरोक्त के विरूद्ध )

**<u>*गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-*</u>**

- प्रभारी निरीक्षक थाना रोहनिया परशुराम त्रिपाठी, व0उ0नि0 जमाल्लुद्दीन खान, उ0नि0 गौरव पाण्डेय प्रभारी चौकी अखरी, उ0नि0 घनश्याम गुप्ता, उ0नि0 रामचन्द्र यादव, उ0नि0 संजय कुमार राय चौकी प्रभारी गंगापुर, उ0नि0 उमेश चन्द्र विश्वकर्मा, उ0नि0 सत्येन्द्र प्रताप सिंह, का0 विश्वजीत पाण्डेय, का0 अविनाश शर्मा, हे0का0 रामकृपाल साही व का0 जितेन्द्र सिंह थाना रोहनियाँ वाराणसी।

**<u>*एसओजी/सर्विलांस टीम-*</u>**

- एसओजी प्रभारी अश्वनी कुमार पाण्डेय, उ0नि0 अरूण प्रताप सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल, का0 नीरज मौर्या सर्विलांस सेल, का0 सुरज सिंह, का0 चालक शिवबाबू सर्विलांस सेल वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 09/2020 दिनांक: अक्टूबर, 02/2020

*प्रेस नोट*

***थाना शिवपुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त आदित्य पाण्डेय गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।***

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक नगर व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैण्ट वाराणसी एवं थाना प्रभारी शिवपुर के निर्देशन में आज दिनांक 02/10/2020 को थाना शिवपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर ऐढ़े लमही के पास से आदित्य पाण्डेय उर्फ अभिषेक पाण्डेय पुत्र प्रमोद पाण्डेय निवासी ऐढे लमही थाना लालपुर-पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष को समय करीब 02.45 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 02 अदद अवैध जिन्दा कारतूस .315 बोर, 100 रुपये चिट बन्द व एक अदद सैमसंग मोबाईल IMEI नं0 358972108418607, 358972108418605 बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 536/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-***

- आदित्य पाण्डेय उर्फ अभिषेक पाण्डेय पुत्र प्रमोद पाण्डेय निवासी ऐढे लमही थाना लालपुर जनपद वाराणसी 20 वर्ष ।

***बरामदगी का विवरण-***

1. एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 02 अदद अवैध जिन्दा कारतूस .315 बोर
2. 100 रुपये चिट बन्द
3. एक अदद सैमसंग मोबाईल IMEI नं0 358972108418607, 358972108418605

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-***

- उ0नि0 चन्द्रदीप कुमार चौकी प्रभारी चाँदमारी, हे0कां0 शिवाकान्त सिंह, कां0 मनोज कुमार व कां0 चन्दन सिंह थाना शिवपुर, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
**फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi**
संख्या: पीआरओ 10/2020 दिनांक: अक्टूबर, 02/2020

*प्रेस नोट*

आज दिनांक 02.10.2020 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0172/2020 धारा 363,366 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त मिनारूल शेख पुत्र नखडू निवासी- S-9/373 नई बस्ती सिध्दार्थ नगर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र 21 वर्ष को पाण्डेयपुर चौराहे के पास से समय करीब 13.50 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-***

- मिनारूल शेख पुत्र नखडू निवासी- S-9/373 नई बस्ती सिध्दार्थ नगर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र 21 वर्ष

***गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-***

- उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह, हे0का0 हीरा लाल यादव, का0 देवमणि त्रिपाठी व म0का0 अंकिता राय थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

**फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi**

संख्याः पीआरओ 11/2020 दिनांक: अक्टूबर, 02/2020

*प्रेस नोट*

***आज दिनांक 02.10.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा थाना मण्डुवाडीह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।***

निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई व थाने के अभिलेखों को देखा गया। बार-बार दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी थाना मण्डुवाडीह क्षेत्र में प्रकाश में आये भूमि विवादों के संबंध में विवाद लिस्ट/रजिस्टर न बनाये जाने व उक्त कार्य में कोई रुचि न लिये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी।

थाना क्षेत्र के अपराधियों पर प्र0नि0 द्वारा सही तरीके से निगरानी न रखने, विवादों में दोषी व्यक्तियों को पाबंद कराये जाने व विवेचना निस्तारण अभियान में कोई रूचि न लेने तथा सूचना मांगे जाने पर आधी-अधूरी सूचनायें प्रेषित करने के सम्बन्ध में आपत्ति प्रकट की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा प्र0नि0 मण्डुवाडीह के सम्बन्ध में उपरोक्त बिन्दुओं पर पुलिस अधीक्षक नगर से आख्या मांगी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

बन्दीगृह

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

**फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi**


संख्या: पीआरओ 12/2020 दिनांक: अक्टूबर, 02/2020

*प्रेस नोट*

आज दिनांक 02.10.2020 को थाना लक्सा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत गुमशुदगी से सम्बन्धित गुमशुदा को पतारसी सुरागरसी के आधार पर लक्सा तिराहा से सकुशल बरामद किया गया। गुमशुदा से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि वह अपनी मर्जी से अपनी सहेली के घर चली गयी थी, उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित नही हुई हैं। थाना लक्सा पुलिस द्वारा उक्त गुमशुदा को उसके परिजनों को बुलाकर सुपुर्द किया गया।

***बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-***

- उ0नि0 अखिलेश कुमार, का0 विश्वजीत यादव, का0 राहुल खरवार व म0का0 पूर्णिमा सिंह थाना लक्सा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 12/2020 दिनांक: अक्टूबर, 02/2020

*प्रेस नोट*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) वाराणसी व क्षेत्राधिकारी सदर वाराणसी के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.10.2020 को थाना लोहता पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 154/2020 धारा 363/366 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)ब एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अपचारी को चाँदपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-***

- उ0नि0 अभिषेक कुमार राय, का0 दिवाकर गुप्ता व म0का0 सोनम कुमारी थाना लोहता वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 13/2020 दिनांक: अक्टूबर, 02/2020

*प्रेस नोट*

## आज दिनांक 02.10.2020 को थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 0748/2020 धारा 147/148/504/324/307 भादवि व 7 CLA एक्ट में वांछित 04 नफर अभियुक्त/अपचारी गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद वाराणसी, पुलिस अधीक्षक नगर व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी कैण्ट के निर्देशन में दिनांक 01.10.2020 को समय लगभग 20.00 बजे दावत रेस्टोरेन्ट भोजूबीर के सामने प्रियांशू सिंह को जान से मारने की नीयत से 05-06 व्यक्तियों द्वारा मिलकर प्रियांशू सिंह की पीठ में चाकू से कई बार वार किये तथा ईंट पत्थरों से मारकर लहूलुहान कर दिया, जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर मु0अ0सं0 0748/2020 धारा 147/148/504/324/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता को देखते हुए उच्च अधिकारीगण के निर्देशन पर प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट द्वारा तत्काल कई टीमों का गठन कर मुखबिर की सूचना पर 24 घण्टे के अन्दर घटना में शामिल 04 अभियुक्त/अपचारी को आज दिनांक 02.10.2020 को समय करीब 17.10 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***विवरण पूछताछ-***

अभियुक्तगणों से पूछताछ करने पर बताया कि हम 05-06 व्यक्ति दावत रेस्टोरेन्ट भोजूबीर के सामने शाम को करीब 20.00 बजे खड़े थे कि बगल से प्रियांशू सिंह जा रहा था, जिससे धक्का लग गया। इसपर हम लोगों में गाली गलौज होने लगी, फिर हम लोगों ने मिलकर ईंट पत्थर व चाकू से कई बार वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। प्रियांशू को सड़क पर गिरा देखकर कई लोग इकट्ठा होने लगे फिर हम लोग मौके का फायदा उठाकर फरार हो गये और अपने-अपने घरों को चले गये।

***गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-***

1. श्रेष्ठ प्रताप सोनकर  पुत्र राजेश सोनकर निवासी एस-25-4 एस सरसौली भोजूबीर थाना कैण्ट वाराणसी उम्र 22 वर्ष।
2. सावन सोनकर पुत्र स्व0 प्रदीप चन्द्र सोनकर निवासी एस- 24/8 सोनकर नगर कालोनी महाबीर मन्दिर थाना कैण्ट वाराणसी उम्र 22 वर्ष।
3. 02 अपचारी।

**<u>*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-*</u>**

- प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 अशोक कुमार यादव चौकी प्रभारी अर्दली बाजार, उ0नि0 दीन दयाल पाण्डेय, उ0नि0 गंगाप्रकाश यादव, का0 रामानन्द यादव क्राइम टीम, का0 सर्वजीत चौहान, का0 शैलेश यादव व का0 विपुल कुमार थाना कैण्ट वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 14/2020 दिनांक: अक्टूबर, 02/2020

*प्रेस नोट*

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 02-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 41 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *114 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 2042 वाहनों का चालान, 13 वाहनों को सीज तथा 55 वाहनों से रु0-42,700/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 02-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1932 व्यक्तियों से रु0-1,06,100/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।